न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 35/2025

नयनिका पुत्री नवीन संरक्षक जरिये कुदरती वली माता प्रतीक्षा गोदारा जाति जाट निवासी– गांव 4 आरपी दाबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीया

–:: बनाम ::–

1. दीपाशुं पिलानिया पुत्र उपेन्द्र
2. नीतू पुत्र रामप्रताप
3. नीलम पुत्र रामप्रताप
4. मनीषकुमार पुत्र रामप्रताप
5. सहदेवी पत्नी रामप्रताप

} जातियान जाट निवासीयान– वार्ड नम्बर 8, चक 4 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

6. सुखदेव सिंह
7. बेअन्त सिंह
8. सतनाम सिंह

} पिसरान चन्द सिंह निवासी– ढींगावाली जाटान तह. व जिला श्रीगंगानगर

9. गुरमीत सिंह
10. जसविन्द्र सिंह
11. जसवीर कौर पत्नी बाबु सिंह

} पिसरान बाबु सिंह निवासी– 4 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

12. राहुल पूनिया पुत्र श्री महीपाल निवासी–सूरतपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू राजस्थान
13. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर
14. विमला देवी पत्नी हंसराज
15. हंसराज पुत्र नेतराम

} जाति जाट निवासी ढींगावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री विक्रम बिश्नोई	प्रार्थीया
2. श्री संदीप बिश्नोई	अप्रार्थी संख्या 1 ता 5, 12
3. श्री तेजा सिंह	अप्रार्थी संख्या 6 ता 11
4. श्री पवन शाक्य	अप्रार्थी संख्या 14 व 15

– :: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:33 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 18.07.2025

प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध जरिये [illegible] श्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया काश्तकार पेशा है. प्रार्थीया स्वयं नाबालिग है और प्रार्थीया की माता प्रार्थीया की कुदरतीवली है। प्रार्थीया का पंजीकृत पता शीर्षक प्रार्थना पत्र में अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीया वाके चक 4 एलएल के खाता संख्या 91/70 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 16 ता 25 की 10 बीघा भूमि की खातेदार है। मु0 नं0 53 की शेष किला नम्बर 1 ता 15 की 15 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज हैं, प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया अपनी भूमि खुद काश्त कर रही है प्रार्थीया की भूमि के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। मुरब्बा नम्बर 53 के उत्तर–पश्चिम में इसी चक का मु० नं0 46 स्थित है, मु0 नं0 46 के कि० नं० 21 तक स्वीकृतशुदा रास्ता है और मु0 नं0 46 के कि० नं० 21 ता 25 की भूमि में 2– 2 बिस्वा रास्ता प्रार्थीया के मु० नं0 53 में प्रवेश के लिये छोड रखा है। मुरबा नम्बर 53 के किला नम्बर 21 ता 25 की भूमि अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 के नाम से दर्ज है और मु0 नं0 54 का कि० नं० 5 अप्रार्थी संख्या 11 के नाम दर्ज है। प्रार्थीया मु० नं० 46 के कि० नं० 21 ता 25 में से घरेलू रास्ता से आवागमन कर मु0 नं0 54 के कि० नं0 5 के कॉर्नर में से प्रवेश कर मु0 नं0 53 के कि० नं० 1, 10, 11 में से प्रवेश कर अपनी भूमि काश्त करते हैं। इस रास्ता के अलावा प्रार्थीया की भूमि के लिये कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया की भूमि के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीया की भूमि की काश्त के लिये अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने मु० नं0 53 के कि० नं० 1, 10, 11 में घरेलू रास्ता छोड़ रखा है, अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 ने मु0 नं0 46 के कि० नं० 21 ता 25 में 2– 2 बिस्वा घरेलू रास्ता छोड़ रखा है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत न होने से आये दिन परेशानी होती है इसलिये प्रार्थीया उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया काश्तकार पेशा है प्रार्थीया की भूमि के लिये मु० नं0 46 के कि० नं० 21 ता 25 में व मु० नं0 54 के किला नम्बर 5 व मु0 नं0 53 के कि० नं0 1.10.11 में चल रहे रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया ने उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने के लिये अप्रार्थी से कई बार कहा परन्तु अप्रार्थी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार का है जो इनकारी से अन्दर अवधि उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 4 एलएल के मु० नं0 46 के कि० नं० 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा व मु० नं0 54 के कि0 नं0 5 में कॉर्नर में 16गुणा16 फुट व मु0 नं0 53 के कि० नं० 1,10,11 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकार किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा इकबालिया(सहमति) जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार चक 4 एलएल के खाता संख्या 91/70 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1 ता 15 की 15 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज हैं, किला नम्बर 1–10–11 में से वांछित रास्ता स्वीकार किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है मिन अप्रार्थीगण उक्त रास्ता की भूमि के बदले में कोई हर्जाना/मुआवजा राशि भी प्राप्त नहीं करना चाहते है । अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जावे तो मिन अप्रार्थीगण सहमत है।

अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 द्वारा इकबालिया(सहमति) जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 21 ता 25 में 5–5 फुट व मु. नं. 54 के कि. नं. 1 ता 5 में 5–5 फुट चौड़ा कुल 10 फुट रास्ता चल रहा है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4 स्वीकार है मु. नं. 46 के किला नं. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

ना होकर 5–5 फुट चौड़ा रास्ता मौका पर चल रहा है व इसी अनुसार मु. नं. 54 के कि. नं. 1 ता 5 में 5–5 फुट चौड़ा कुल 10 फुट रास्ता चल रहा है और अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 मुं. नं. 46 के किला नम्बर 21 ता 25 में 5–5 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकार करवाने में सहमत हैं। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 5 स्वीकार है उपरोक्त अनुसार रास्ता रास्ता स्वीकार किया जाता है तो मिन अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 को कोई आपत्ति नही है। अतः जवाब दांवा मय इकबाल दावा पेश कर निवेदन है कि चक 4 एलएल के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 21 ता 25 में से 5–5 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकार किया जावे तो मिन अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 को कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा इकबालिया(सहमति) जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4 स्वीकार है, चक 4 एमएल के मुरबा नम्बर 54 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 17, 24–25 की भूमि मिन अप्रार्थी के नाम है किला नम्बर 5 में से वांछित रास्ता स्वीकार किया जाता है तो मिन अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। मिन अप्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि के बदले में कोई हर्जाना राशि भी प्राप्त नहीं करना चाहता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 14 व 15 द्वारा इकबालिया(सहमति) जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में मुरबा नम्बर 54 के किला नम्बर 1, 2 में 5–5 फुट चौडा रास्ता स्वीकार किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुरबानम्बर 46 के किला नम्बर 21 ता 25 के साथ साथ मुरबा नम्बर 54 के किला नम्बर 1, 2 में 5–5 फुट चौडा रास्ता स्वीकार किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण सहमत हैं।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

– :: आदेश ::–

बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चक 4 एलएल के मु० नं० 46 के कि० नं० 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा व मु० नं० 54 के कि० नं० 5 में कॉर्नर में 16 गुणा 16 फुट व मु० नं० 53 के कि० नं० 1,10,11 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकार किये जाने का अनुतोष चाहा गया था किन्तु प्रकरण में अब प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति हो चुकी है अतः अब प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहमति के अनुसार मुरबा नम्बर 46 के किला नम्बर 21 ता 25 के साथ साथ मुरबा नम्बर 54 के किला नम्बर 1 ता 5 में 5–5 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत आपसी सहमति है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हे[illegible] रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" [illegible] बिन्दुओं पर विचार किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है [illegible] अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक [illegible] आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपसी सहमति के आधार पर [illegible]कार किया जाकर चक 4 एमएल के मुरबा नम्बर 46 के किला नम्बर 21 ता 25 के [illegible] साथ मुरबा नम्बर 54 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

किला नम्बर 1 ता 5 में 5–5 फुट चौड़ा एवम् मुरबा नम्बर 53 के किला नम्बर 1, 10, 11 में 10–10 फुट रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति होने के कारण प्रतिकर देय नहीं है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिंनाक 18.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner